भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1049 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

वाधवन पत्तन परियोजना

†1049. श्रीमती अपराजिता सारंगी :

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी वाधवन पत्तन परियोजना से भारत को किस प्रकार विश्व के शीर्ष 10 समुद्री केंद्रों में स्थान मिलने की संभावना है;

(ख) क्या वाधवन पत्तन कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत किसी सहयोग और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के कौशल का विकास करना और कृषि-संभारतंत्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र, विशेषकर पालघर जिले और महाराष्ट्र के जनजातीय, अन्य ग्रामीण और तटीय लोगों के विकास को प्राथमिकता देने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (आईएमईसी) पर स्थित वधावन पत्तन, एक गहरे ड्राफ्ट वाला पत्तन है जिससे भारत की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में 23.2 मिलियन टीईयू तक की वृद्धि होने का अनुमान है। इस नए पत्तन के विकास से वैश्विक समुद्री केन्द्रों में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

(ख) और (ग): समझौतों और कौशल कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(घ): ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

अनुबंध I

प्रमुख समझौतों की सूची और कौशल कार्यक्रम का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. वधावन पत्तन परियोजना लिमिटेड (वीपीपीएल) और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (वाईसीएमओयू): वीपीपीएल और वाईसीएमओयू के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. जेएनपीए और नौवहन महानिदेशालय (डीजी शिपिंग): चयनित समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) के माध्यम से वधावान क्षेत्र में स्थानीय लोगों और परियोजना से प्रभावित लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3. वीपीपीएल और सह्याद्री फार्म्स: वीपीपीएल और सह्याद्री फार्म्स के बीच एक कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना और कृषि-मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

4. भारी वाहन चालक और मैकेनिक्स के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग: गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में भारी वाहन चालन और मैकेनिक्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं।

5. कौशल कार्यक्रम के लिए व्हाट्सऐप चैटबोट: वीपीपीएल ने वधावन के युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप चैटबोट आरंभ किया है, जिससे संभावित अभ्यर्थियों के लिए सूचना प्राप्त करना और कौशल कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करना आसान हो गया है।

अनुबंध II

निम्नलिखित पहल, इस क्षेत्र, विशेषकर पालघर जिला और महाराष्ट्र के जनजाति, अन्य ग्रामीण और तटीय लोगों के विकास के लिए लाभकारी होगा:

1. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (जनजातीय विकास मिशन)
2. वन अधिकार एवं आजीविका सशक्तिकरण
3. ट्री कार्यक्रम (जनजातीय अधिकार विस्तार और सशक्तिकरण)
4. मनरेगा के अंतर्गत परियोजना
5. जिला परिषद का ठक्कर बप्पा जनजातीय बस्ती सुधार कार्यक्रम
6. वीपीपीएल का तटीय सामुदायिक कौशल विकास
7. इम्पैक्ट इंडिया की सामुदायिक स्वास्थ्य पहल (सीएचआई)

*****